

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन जिला करौली
सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमहावीरजी बनाम २१/१२/२०१७ ५११ ३३२/२०१७/३५
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.आर.एक्ट १३६ ५२१९
मुकदमा नं. ७०६ / २०१७

अदालत तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08.06.22	<p>उपरोक्त मुकदमा तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.आर.एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस न्यायालय में दिनांक २९.१२.२०१७ को पेश किया। उक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक २९.१२.२०१७ को रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश होने के कारण उक्त प्रकरण में तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने रिकार्ड में तब्दीली करने में असमर्थता जाहिर की है तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट जाहिर है कि उक्त प्रकरण धारा १३६ एल.आर.एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमहावीरजी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही तहसीलदार श्रीमहावीरजी को निर्देशित किया जाना भी न्यायोचित है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सेग्रीगेसन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें।</p> <p>अतः राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमहावीरजी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है तथा मूल पत्रावली तहसीलदार श्रीमहावीरजी को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही अपने स्तर पर सेग्रीगेसन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें तथा उक्त प्रकरण में दिनांक २९.१२.२०१७ को जारी स्थगन आदेश विद्दो किये जाते हैं। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अनूपसिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>